भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2173
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएमपी"

2173. श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री बालक नाथ:
श्रीमती रंजीता कोली:
डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान सहित देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करने में दिलचस्पी दिखाने वाले अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की राशि कितनी है या क्या ऐसी कोई पहल की गई है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): जी हां। फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेंबलियों/उप-असेंबलियों और कल-पुर्ज़ों/छोटे पुर्जों का घरेलू विनिर्माण करना है ताकि घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि हो।
(ग) से (ङ): फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत पंजीकृत राजस्थान के मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) और 15-12-2022 की स्थिति के अनुसार मांग प्रोत्साहन/ संवितरित सब्सिडी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	विनिर्माता का नाम	विनिर्माण संयंत्र का स्थान	फ़ेम-II के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन राशि (रुपये में)
1	ओकिनावा ऑटो टेक प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	128,60,98,405.00
2	टुनवाल ई-मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	0
3	ट्वेंटी टू मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	5,22,97,500.00
4	सायरा इलेक्ट्रिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	8,32,68,724.72

इसके अलावा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए 11 जून, 2021 से इलेक्ट्रिक वाहन की लागत सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% करते हुए मांग प्रोत्साहन को 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है।

ii. ii. सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी जिससे देश में बैटरी की कीमतों में कमी आएगी और इसके परिणामस्वरुप इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी। साथ ही, ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए 23 सितंबर, 2021 को अधिसूचित पीएलआई स्कीम में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान है।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचना जारी कर बैटरीचालित वाहनों को यात्रियों अथवा सामानों के वहन के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट दी है।

*****